अध्याय-I
प्रस्तावना

1.1 बजट रूपरेखा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) में 79 विभाग और 67 स्वायत्त निकाय हैं। ऐसे 15 गैर-सरकारी संस्थान भी हैं जिन्हें 2017-18 के दौरान सहायता अनुदान में ₹ 25 लाख से अधिक राशि प्रदान की गई **(परिशिष्ट 1.1)**। रा.रा.क्षे.दि.स. के 2013-18 के दौरान बजट अनुमान और उनके वास्तविक आंकड़ों की स्थिति नीचे **तालिका 1.1** में दी गई है।

तालिका 1.1: 2013-18 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	5,792.69	5,597.48	6,763.15	5,983.40	7,055.66	6,427.12	7,210.04	6,590.28	7,851.52	7,195.96
सामाजिक सेवाएं	13,134.81	12,314.54	14,800.52	13,306.11	16,193.02	14,817.83	18,431.53	16,578.89	21,231.39	19,602.11
आर्थिक सेवाएं	3,783.08	3,650.00	3,573.12	3,318.99	4,302.65	4,138.71	5,412.43	5,111.41	6,149.61	5,862.01
सहायता अनुदान एवं अंशदान	804.50	804.50	900.99	900.99	958.89	958.89	1,022.44	1,021.34	1,093.94	1,093.94
कुल (1)	**23,515.08**	**22,366.52**	**26,037.78**	**23,509.49**	**28,510.22**	**26,342.55**	**32,076.44**	**29,301.92**	**36,326.46**	**33,754.02**
पूँजीगत व्यय										
पूंजीगत परिव्यय	4,889.22	4,707.42	4,937.41	4,403.94	5,308.25	4,723.47	4,686.10	3,754.30	3,852.08	3,242.92
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	5,694.00	5,652.37	2,138.06	1,679.94	2,711.35	2,684.32	2,782.84	2,552.52	2,509.03	2,247.49
लोक ऋण की वापसी	1,325.29	1,325.29	1,676.75	1,346.73	1,435.18	1,435.17	1,654.63	1,654.62	1,682.43	1,682.43
आकस्मिक निधि	0	0	0	0	0	10.00	0	0	0	2.40
लोक लेखों का संवितरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अंतिम नकद शेष	**0**	**880.65**	**0**	**1,517.07**	**0**	**3,654.94**	**0**	**2,645.35**	**0**	**2,982.52**
कुल (2)	**11,908.51**	**12,565.73**	**8,752.22**	**8,947.68**	**9,454.78**	**12,507.90**	**9,123.57**	**10,606.79**	**8,043.54**	**10,157.76**
कुल योग (1+2)	**35,423.59**	**34,932.25**	**34,790.00**	**32,457.17**	**37,965.00**	**38,850.45**	**41,200.01**	**39,908.71**	**44,370.00**	**43,911.78**

स्रोतः रा.रा.क्षे.दि.स. के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वित्त लेखे

1.2 सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

2013-14 में सरकार का कुल व्यय[1] 19.92 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 32,726.31 करोड़ से 2017-18 में ₹ 39,246.83 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय 2013-14 में ₹ 22,366.52 करोड़ था, जो 2017-18 में 50.91 *प्रतिशत* की वृद्धि के बाद ₹ 33,754.02 करोड़ हो गया। पूँजीगत व्यय 2013-14 में ₹ 4,707.42 करोड़ से घटकर 2014-15 में ₹ 4,403.94 करोड़ हो गया,

[1] लोक ऋण तथा नकद शेष के पुनर्भुगतान को छोड़कर

2015-16 में ₹ 4,723.47 करोड़ तक बढ़ गया, 2016-17 में ₹ 3,754.30 करोड़ तक घट गया तथा आगे 2017-18 में ₹ 3,242.92 करोड़ तक घट गया।

कुल व्यय के एक घटक के रूप में राजस्व व्यय 2013-14 में 68.34 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 86.00 *प्रतिशत* हो गया जबकि पूंजीगत व्यय 14.38 *प्रतिशत* से घटकर 8.26 *प्रतिशत* हो गया। 2013-18 की अवधि में कुल व्यय 7.47 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत दर से बढ़ा, जबकि राजस्व प्राप्तियाँ 10.25 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत दर पर ₹ 27,980.69 करोड़ से ₹ 38,667.27 करोड़ हो गईं।

1.3 निरंतर बचत

तीन अनुदानों में, पिछले पांच वर्षों के दौरान ₹ 2.50 करोड़ से अधिक की निरंतर बचत हुई, जैसा कि **तालिका 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.2: 2013-18 के दौरान निरंतर बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या और नाम	बचत की धनराशि				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
	राजस्व (दत्तमत)					
1.	**अनुदान सं. 3:** न्याय प्रशासनः 2014 बी. 1(2)(1)-न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय	6.04 15.24%	8.05 16.85%	15.29 24.50%	8.13 13.90%	7.86 13.31%
2.	**अनुदान सं. 7: चिकित्सा व लोक स्वास्थ्यः** 2211 के 1 (3)(1)-शहरी परिवार कल्याण केंद्र (श.प.क.कें.)	3.50 71.43%	9.21 86.32%	8.71 87.10%	17.76 92.21%	2.50 58.28%
	पूंजीगत (दत्तमत)					
3.	**अनुदान सं. 8: समाज कल्याणः** 5055 डीडी- इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसें-वैकल्पिक परिवहन प्रणाली का प्रारंभ	97.21 97.21%	3.00 100%	11.00 100%	11.73 100%	12.66 42.20%

स्रोतः रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोजन लेखे

सरकार ने सूचित किया कि बचत होने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे (i) विज्ञापनों के लिए रखे गए बजट के एक बड़े हिस्से का खर्च न होना क्योंकि मामला न्यायाधीन था, (ii) वेतनमानों के उन्नयन के लिए बकायों के भुगतान हेतु रखे गए मुख्य प्रावधानों का उपयोग न किया जाना, (iii) कम संख्या में बिलों की प्राप्ति तथा (iv) कम ऋणों का जारी किया जाना।

1.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2013-18 के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान **तालिका 1.3** में दिए गए हैं।

तालिका 1.3: भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
गैर-योजनागत अनुदान	326.91	327.95	2,905.02	1,118.71	ला.न.
राज्य योजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	717.81	1,467.35	486.72	550.17	ला.न.
केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	358.14	552.84	866.55	1,156.28	ला.न.
केंद्रीय प्रायोजित योजना	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	994.72
विधानसभा सहित राज्य/सं.शा.क्षे. को अन्य स्थानांतरण/अनुदान	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	1,189.46
कुल	**1,402.86**	**2,348.14**	**4,258.29**	**2,825.16**	**2,184.18**
पिछले वर्ष के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-	(-) 6.63	(+) 67.38	(+) 81.35	(-)33.66	(-)22.68

) की प्रतिशतता					
राजस्व प्राप्तियां	27,980.69	29,584.59	34,998.85	34,345.74	38,667.27
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सहायता अनुदान	5.01	7.94	12.17	8.23	5.65

स्रोतः 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन
ला.न. – लागू नहीं

2013-14 से 2015-16 तक भा.स. से सहायता अनुदान की प्रवृत्ति बढ़ी हुई थी तथा उसके उपरांत 2015-16 से 2017-18 तक प्रवृत्ति घट गई थी। इसकी राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता 5.01 *प्रतिशत* से 12.17 *प्रतिशत* के मध्य थी।

1.5 स्वायत्त निकायों की वित्तीय विवरणी का प्रमाणन

स्वायत्त निकायों की वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) तथा 20(1) के अंतर्गत की जाती है। वित्तीय विवरणी में बैलेंस शीट, आय तथा व्यय के लेखे और/अथवा प्राप्ति तथा भुगतान के लेखे शामिल होते हैं। प्रत्येक लेखापरीक्षित स्वायत्त निकाय के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ.ले.प.प्र) होते हैं जिसमें वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण विधियों की अनुपालना, लेखाकरण मानकों, प्रकटीकरण मानदंड़ों इत्यादि के संबंध में लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ होती हैं। रा.रा.क्षे.दि. के 10 स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा भा.नि.म.ले.प. को सौंपी गयी हैं। लेखापरीक्षा को सौंपी गई स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखों की प्रस्तुति, पृ.ले.प.प्र को जारी किए जाने तथा 31 मार्च 2018 तक इसको विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने को **परिशिष्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

1.6 लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों तथा योजनाओं/ परियोजनाओं के जोखिम निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है तथा इसमें गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता, प्रत्योयोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा पणधारियों के हित तथा पूर्व लेखापरीक्षा परिणामों का निर्धारण भी शामिल होता है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा समयसीमा तय की जाती हैं एवं एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद, लेखापरीक्षा परिणामों को निरीक्षण प्रति वेदन में शामिल करते हुए कार्यालय प्रमुख को चार सप्ताह में उत्तर देने के अनुरोध के साथ जारी की जाती है। जब उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो नि पटान कि या जाता है या आगे, अनुपालना के लिए अन्य कार्रवाई करने का परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए संसाधित किया जाता है जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम 1991 की धारा 48 के अधीन दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

2017-18 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. के 184 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ.सं.अ.) तथा चार स्वायत्त निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, चार निष्पादन लेखापरीक्षाएँ भी की गईं।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

पूर्व वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में अनेक महत्वपूर्ण कमियों के साथ-साथ चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता को बताया है जिनका विभागों के कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव था। ध्यान अभीष्ट लाभार्थियों को दी जाने वाली सेवाओं के सुधार के लिए उपयुक्त सिफारिशों की पेशकश करने पर था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रस्तावित ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा एवं पैराग्राफों को शामिल करने हेतु प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली द्वारा प्रधान सचिवों/संबंधित विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों की ओर ध्यान दिलाते हुए उनके उत्तर छः सप्ताह में भिजवाने हेतु अग्रेषित किया जाता है। विभागों/सरकार से प्रत्युत्तर की गैर-प्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऐसे पैराग्राफों के अंत में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा दस लेखापरीक्षा पैराग्राफों को 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्ताव संबंधित प्रधान सचिवों/संबंधित विभागों के सचिवों को भेजा गया। इनमें से छः लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2020)।

1.8 लेखापरीक्षा के आग्रह पर की गई वसूली

सरकार के विभागों के लेखों की लेखापरीक्षा जांच के दौरान संज्ञान में आने वाली वसूलियों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा को सूचना देते हुए पुष्टि व आगे की कार्रवाई के लिए विभिन्न विभागीय आ.सं.अ. को भेजा गया था।

वर्ष 2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा परिणामों जिनमें 154 मामलों में इंगित की गई ₹ 86.67 करोड़ की वसूली के प्रति संबंधित आ.सं.अ. ने 58 मामलों में ₹ 3.02 करोड़ (पिछले वर्षों की वसूली सहित) की वसूली की।

1.9 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया का अभाव

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली, सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हुए लेन-देन की नमूना जांच और महत्त्वपूर्ण लेखाकरण और अन्य अभिलेखों का विनिर्धारित नियमों व प्रक्रियाओं के अनुसार रखरखाव का सत्यापन करते हैं। लेखापरीक्षा निरीक्षणों के दौरान पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताओं आदि, जिनका मौके पर निपटान नहीं होता, को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र) के रूप में कार्यालयाध्यक्षों को जारी किया जाता है। कार्यालयाध्यक्षों और अन्य वरिष्ठ प्राधिकारियों को नि.प्र. की प्राप्ति के चार

सप्ताह के भीतर दिल्ली के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अपनी अनुपालना के बारे में सूचना देनी आवश्यक है।

31 मार्च 2018 तक, 1,970 नि.प्र. में सम्मिलित 8,610 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां बकाया थी, जैसा कि **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: बकाया नि.प्र. तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	मार्च 2016 तक			मार्च 2017 तक			मार्च 2018 तक		
	नि.प्र.	पैरा	राशि	नि.प्र.	पैरा	राशि	नि.प्र.	पैरा	राशि
सामाजिक क्षेत्र	876	3,647	99.84	1,124	4,578	106.41	1,097	4,191	105.49
सामान्य क्षेत्र	594	3,455	455.30	641	3,499	457.15	711	3,869	590.15
आर्थिक क्षेत्र (गैर. सा.क्षे.उ.)	180	640	5,494.71	175	614	5,437.51	162	550	5,255.70
	1,650	**7,742**	**6,049.85**	**1,940**	**8,691**	**6,001.07**	**1,970**	**8,610**	**5,870.34**

बड़ी संख्या में बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ वित्तीय प्रबंधन तथा जवाबदेही में सुधार करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों का पता लगाने हेतु सरकार की प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाता है।

1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

1.10.1. स्वतः ऐक्शन टेकेन नोट्स तथा लोक लेखा समिति में पैराग्राफों की चर्चा का गैर-प्रस्तुतिकरण

विविध लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, कार्यकारियों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा में दर्शाये गये सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर स्वतः ऐक्शन टेकेन नोट्स (ए.टी.एन.) की शुरूआत करनी चाहिए इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि इनकी लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा चर्चा की गयी है या नहीं। इन ए.टी.एन. को राज्य विधानमडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की तारीख से लेकर तीन महीने की अवधि के भीतर प्रधान महालेखाकार (ले.प.), दिल्ली द्वारा यथावत् जांच के बाद लो.ले.स. को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2007-08 से 2016-17 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में दिखाए गए 42 निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 130 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से, चार निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 32 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में स्वतः ऐक्शन टेकेन नोट्स प्राप्त नहीं किए गए हैं। छः निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 26 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर 31 अक्तूबर 2018 तक, लो.ले.स. द्वारा चर्चा की गई है।

1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिए गए निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के वर्ष-वार विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के वर्ष-वार विवरण जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उनके धन मूल्य सहित दर्शाए गए थे, को **तालिका 1.5** में दिया गया है।

तालिका 1.5: मार्च 2015-मार्च 2017 तक समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाई गई निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों का विवरण

मार्च को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	निष्पादन लेखापरीक्षा		लेखापरीक्षा पैराग्राफ		प्राप्त किए गए उत्तर	
	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखापरीक्षा	लेखापरीक्षा पैराग्राफ
2015	4	240.04	16	1,711.58	4	12
2016	5	107.93	15	365.91	4	12
2017	3	231.68	13	184.40	1	09

सरकार को 12 निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 44 लेखापरीक्षा पैराग्राफ जारी किए गए थे। हालांकि, सरकार/विभागों से केवल नौ निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 33 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में उत्तर प्राप्त हुए थे।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु इस प्रतिवेदन में ₹ 136.15 करोड़ धन मूल्य की एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 128.14 करोड़ के 10 लेखापरीक्षा पैराग्राफ सम्मिलित किए गए हैं। जहां कहीं भी उत्तर प्राप्त हुए थे, उन्हें उचित स्थान पर शामिल कर दिया गया है।